न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 127/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/192

1. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार श्रीविजयनगर

—प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम कौम मेघवाल साकिन 4 एलसी ए तहसील श्रीविजयनगर

—अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. राजपैरोकार उपतहसीलदार जैतसर, प्रार्थी
2. एकपक्षीय

—:: निर्णय ::—

दिनांक :25.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (प्रकरण सं. 399/2013) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बुगिया में खसरा सं. 102, 293, 318, 319/1, 351, 370, 372/2, 373, 546/2, 558/1, 596 में कुल 180.13 बीघा रकबा जोहड़ दर्ज था। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त खसरा सं. 293, 318, 319, 351, 370, 372/2, 373 चक 4 जे.एस.डी. के मु.नं. 135/367 के कि.नं. 1 ता 25 का 25 बीघा, 134/367 का 5 बीघा, 135/368 का कि.नं. 1 ता 25 का 25 बीघा, 135/369 का कि.नं. 1 ता 25 का 25 बीघा, 133/369 का कि.नं. 1 ता 25 का 25 बीघा, 132/369 का 15 बीघा तथा चक 8 बीजीडी का मु.नं. 153/389 का 5 बीघा, 154/391 का 4 बीघा, 154/386 का 22—13 बीघा एवं चक 1 बीजीडी का मु.नं. 146/360 का 25 बीघा के रूप में सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित है तथा वर्षा के जल के भराव, भण्डारण तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। भूमि जोहड़ मय पायतन की होने के कारण राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16(2) के अनुसार भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ याचिका सं. 11153/2011 में दिनांक 29.05.2012 को इस विषय में आदेश दिया गया हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132/11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र सं. 6782—6812 दिनांक 24.12.2004 और राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज—6/2001 पार्ट/5 दिनांक 29.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज—7/2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। जोहड़ मय पायतन हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से चक 4 जेएसडी के प.नं. 135/367 कि.नं. 1 ता 16 का 16 बीघा भूमि एसडीएम महो. रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 12.08.1992 को किशन लाल पुत्र चूडराम जाति राजपूत सोनी साकिन गजसिंहपुर को आवंटन किया गया था एवं कि.नं. 17 ता 20 तथा 21 ता 25 का 8—10 बीघा थमण सिंह पुत्र अमर सिंह जाति बावरी साकिन 7 एफडीएम को दिनांक 01.11.1978 को श्री मान् उपायुक्त उपनिवेशन आयुक्त द्वारा आवंटन किया गया था जो वर्तमान में उक्त मुरब्बा का कि.नं. 17 में 0.253, 18 में 0.253, 19/2 में 0.164 कुल 0.670 है. रकबा औमप्रकाश पुत्र सुरजाराम कौम मेघवाल साकिन 4 एलसी ए तहसील

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

श्रीविजयनगर के नाम खातेदारी दर्ज हैं। जो गैर कानूनी हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि का आवंटन खारिज करते हुए भूमि को गै.मु. जोहड़ मय पायतन दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि खसरा नं. 293 जो कि उपनिवेशन विभाग की जमाबंदी से चकबंदी बनने के बाद खसरा का चक 4 जेएसडी स्थापित होना एवं मुरब्बा नं. 135/367 के कि.नं. 1 ता 25 सीमांकित होना तथ्य गलत दर्ज करवाए गये हैं। उक्त भूमि में अप्रार्थी के नाम से चक 4 जेएसडी के मु.नं. 59 के प.नं. 135/367 के कि.नं. 17 ता 18, 19/2 की कुल 0.670है. का खरीदशुदा खातेदार कृषक है यह भूमि कभी भी जोहड़ पायतन में ना ही तो मौका पर रही है ना ही रिकार्ड पर रही हैं। जो जमाबंदी रेफरेन्स में प्रस्तुत की गयी है, वह सबूत सम्वत 2016–2019 तक की प्रस्तुत की गयी है, उसमें खसरा नं. 293 में 5 बीघा रकबा जोहड पायतन का दिया गया है, इसके अलावा सूचना नं. 4 प्रमाणित नहीं हैं। अप्रार्थी के किलाजात कभी जोहड पायतान में नहीं थे। अप्रार्थी ने भी जरिये बैयनामा दिनांक 29.12.1998 को भादरराम पुत्र खिराजराम जाति मेघवाल से खरीद की है, उक्त भूमि किला नं. 17 से 20, 21 ता 25 कुल 8.10 बीघा थमण सिंह पुत्र अमर सिंह जाति बावरी निवासी 7 एफडीएम को मि.न. 397 दिनांक 01.11.1978 को अन्तादय परिवार में आवंटन हुई जिसकी किस्त 7437 रूपये जमा करवायी जाकर आवंटन हुई हैं। आवंटन विधिवत हैं जिसे अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से कतई प्रभावित नहीं माना जा सकता है। रेफरेंस खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के पश्चात हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी स्वयं पर विधिवत तामील होने के बावजूद अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने की दशा में प्रार्थी की रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै. मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

5. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं। प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, सूची नं. 4 आदि के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अतः उक्त भूमि का पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)